संख्या -06/सीपी 383/84-2-2013-1(वि0)/2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 03 जनवरी, 2014

विषय श्रीमती विमला देवी को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु मार्गदर्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2321/एससीडीआरसी/अधि.मिस. 72/05, दिनांक 19 सितम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार श्रीमती विमला देवी के प्रार्थना पत्र पर आयोग के आदेश दिनांक 07 नवम्बर, 2007 द्वारा श्रीमती विमला देवी की पदोन्नति निरस्त करते हुए पुन: कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदास्थापित किया गया, किन्तु उक्त पत्र में आपके द्वारा यह सूचित नहीं किया गया है कि श्रीमती विमला देवी द्वारा पदोन्नति हेतु सहमति प्रदान की गयी है अथवा नहीं और यदि सहमति प्रदान की गयी है तो किस तिथि से? अत: कृपया उक्त सूचना एवं सम्बन्धित अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in